

राजस्थान सरकार

स्मरण पत्र -3

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.7(10) दि.नि./प्रशि./ICDS/2016 116044-73

जयपुर, दिनांक:
26-6-18उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
संबंधित

विषय:- बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि की प्रशिक्षण सम्बंधित जानकारी कार्यालय स्तर पर संधारण हेतु।

प्रसंग:- निपसिड नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 593/PCM/2018-19 के अनुसरण में।
विभागीय पत्र क्रमांक 164147-179 दिनांक 27.10.2017 एवं 74023-55
दिनांक 01.05.2018

आईसीडीएस सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य व महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी कारण आईसीडीएस कर्मिकों के कार्य प्रारम्भ के समय कार्य प्रशिक्षण, निश्चित समय अन्तराल पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण व विशिष्ट कौशल विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। केन्द्रीय निगरानी इकाई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 41% आईसीडीएस कर्मिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित हैं। इसका प्रमुख कारण परियोजना कार्यालय स्तर पर आईसीडीएस कर्मिकों के प्रशिक्षण सम्बंधित रिकार्ड का यथोचित संधारण नहीं होना है। आपको समय-समय पर मानदेय कर्मियों की प्रशिक्षण सम्बंधित जानकारी राजपोषण पर अद्यतन करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

पूर्व में भी उप निदेशक व परियोजना कार्यालय स्तर पर आईसीडीएस कर्मिकों के प्रशिक्षण सम्बंधित जानकारी संधारण करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप आपको उपलब्ध करवाया जा कर निर्देश दिये गये थे कि अनिवार्यतः प्रारूपानुसार जानकारी संधारण करना सुनिश्चित करें व पालना रिपोर्ट निदेशालय भिजवाएं। यह सूचना आज तक अप्राप्त है।

आपको प्रपत्र प्रारूप पुनः email द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। अतः वांछित सूचना माह जून 2018 तक सॉफ्ट कॉपी में ddt.icds@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे एवं आपके विरुद्ध विभागीय नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

संलग्न :- प्रपत्र उपरोक्तानुसार


निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(10) दि.नि./प्रशि./ICDS/2016 116074-75

जयपुर, दिनांक: 26-6-18

1. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजकर लेख है कि आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करे एवं सूचना निदेशालय प्रेषित करावें।
2. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को लेख है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

